संख्या-34/2020/648/71-2-2020-02/2018

प्रेषक,

मार्कण्डेय शाही,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सेण्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में संस्थान के मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में हो रही बचत को मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सी0बी0एम0आर0/बजट/12/2019-20/415, दिनांक 13.02.2020 के सन्दर्भ में तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/729 दिनांक 26-02-2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के मानक मद-0312-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) मद मे हो रही सम्भावित बचत रू0 176.00 लाख की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बीएम-9 में उल्लिखित मानक मद "20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 176.00 लाख (रूपये एक करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) संक्रमित कर, संक्रमित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि को व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि को बैंक, पोस्ट आफिस अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय विद्युत आपूर्ति एवं अनुरक्षण का कार्य कराये जाने हेतु किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी सी0बी0एम0आर0 द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उसमें इस वित्तीय वर्ष मे धनराशि की मांग पुनः नहीं की जायेगी तथा जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उसका उपयोग इसी मद मे इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

7- बचत की धनराशि की उपलब्धता का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ तथा संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी का होगा।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्ष "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0312-सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)" के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/38/दस-2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मार्कण्डेय शाही)
विशेष सचिव।

संख्या-648/2020/648(1)/71-2-20-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, (लखनऊ)।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियन्त्रक) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in